राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ. .सीसी/स्वा.का.पु./2024/ दिनांक :–

आदेश

प्रकरण एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 5521/2021 श्री किशन सिंह स्वा.कार्य.पू. बनाम राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 को निम्न निर्णय पारित किया गया है:–

" Learned counsel for the petitioner states that the petitioner shall be satisfied if his representation is decided by the respondents in light of the aforequoted precedent of Dadam DasVaishnav (supra).

In light of the aforequoted judgment, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the representation of the petitioner in terms of aforementioned judgment within a period of 30 days from today strictly in accordance with law."

कि दाडमदास वैष्णव व अन्य का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) से संबंधित है जिसमें निर्धारित योग्यता सैकण्डरी या समकक्ष के साथ 18 माह (जिसे बाद में 12 माह सशोधित किया गया) के हेल्थ वर्कर मेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक था।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता आमेलित/समायोजित कार्मिक है जिनकी नियुक्ति फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने एवं याचिकाकर्ता समायोजित/आमेलित पुरुष होने से याचिकाकर्ता का प्रकरण गोविंद दान चारण के प्रकरण के समान है।

संबंधित नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त वांछित सूचना का गहनता से परीक्षण कर पाया गया की याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति एम.एस.डब्ल्यू. के पद पर हुई थी तथा कार्मिक 03 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर समायोजित/आमेलित किया गया है। **याचिकाकर्ता द्वारा 12 माह से कम का स्वा0कार्य0पु का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष नहीं है** एवं **माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट संख्या 4210/2012 श्री किशन सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013 की पालना में गोविन्द दान चारण के आधार पर याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षिय सेवा का संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है।**

प्रकरण में याचिकाकर्ताओं श्री किशन सिंह को माननीय न्यायालय जोधपुर में दायर याचिकां के अंतर्गत प्रकरण गोविंद दान चारण से कवर्ड हुये चयनित वेतनमान देने के निर्देशों की पालना में संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किया गया है एवं निदेशालय के आदेश कमांक 55 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने से याचिकाकर्ता समायोजित स्वा.कार्य.पु. होने से एवं प्रकरण गोंविद दान चारण के प्रकाश में कमशः 09, 18 एवं 27 वर्ष पर क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रकरण मे उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता श्री किशन सिंह का प्रकरण समायोजित कार्यकर्ता पुरुष का होने से पूर्णतया गोविन्द दान चारण प्रकरण से कवर्ड होने पर न्यायिक निर्णय की पालना में गोंविद दान चारण के प्रकाश में संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाने से एवं याचिकाकर्ता का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष दाडमदास वैष्णव के प्रकरण से कवर्ड नहीं होने से याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से जांच करने से याचिकाकर्ता द्वारा दाडमदास वैष्णव के प्रकाश में चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होने से अभ्यावेदन एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःएफ.2115.सीसी/स्वा.का.पु./2024/69 दिनांक :– 21/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
4. वेबसाइट हेतु प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
6164382

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

Document [illegible] by RAKESH KUMAR SHARMA <ra[illegible]@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :18-03-2024 05:53:54